Email

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र/बी-6/नि0/वि.अनु./आईटीसी/258//369 भोपाल दिनांक 02/06/2022

प्रति,

संयुक्त संचालक (समस्त)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - ________.

विषयः-मेसर्स आईटीसी लि0 एबीडी की जमा प्रतिभूति वापसी के पूर्व मंडी समिति से अदेय प्रमाण पत्र लेने के संबंध मे।

विषयांतर्गत लेख है कि म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के अधीन मेसर्स आईटीसी लि0 एग्री बिजनेस डिवीजन को पूर्व मे जारी विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक एस.एल./05/01 दिनांक 25.8.2015 जारी की गई थी। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 24/08/2022 तक थी। जिसके लिए पूर्व मे मेसर्स आईटीसी लि0 के द्वारा 10 करोड़ की बैंक गारंटी मण्डी बोर्ड मे जमा की गई है जिसकी अवसान तिथि 17.8.2020 तक की थी जो कि समाप्त हो चुकी है। वर्तमान मे मेसर्स आईटीसी लि0 एग्री बिजनेस डिवीजन को नवीन विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक एस.एल./2021/09 दिनांक 25/02/2021 से आगामी 4 वर्षो तक अर्थात दिनांक 24/02/2026 तक स्वीकृत की गई है।

मेसर्स आईटीसी लि. एग्री बिजनेस डिवीजन के द्वारा अपने पत्र दिनांक 30/12/2021 मे पूर्व मे मंडी बोर्ड मे प्रस्तुत बैंक गारंटी राशि रूपये 100,000, 000 /-, रूपये 2, 05, 00,000/- एवं रूपये 55,00,000/- वापस किये जाने हेतु पत्र मंडी बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है।

म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 के नियम 9 के पैरा के अनुसार विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र के सचिव से अमांग/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वापस किये जाने का प्रावधान है।

अतः पूर्व मे मेसर्स आईटीसी लि. एग्री बिजनेस डिवीजन को जारी विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक एस.एल./05/01 दिनांक 25.8.2015 से दिनांक 24/08/2022 तक की अवधि का नियम 8(1) के अन्तर्गत अमांग/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने अभिमत के साथ संकलित जानकारी एवं अभिलेख दो दिवस मे मुख्यालय को उपलब्ध कराये।

(अपर संचालक महोदय के निर्देशानुसार)

01/6/2022

संयुक्त संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\SANDEEP BIRARE\LETTER NEW SANDEEP.docx

क्र/बी-6/नि0/वि.अनु./आईटीसी/258//370 भोपाल दिनांक 02/06/2022

प्रतिलिपि :-

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति की ओर लेख है कि मेसर्स आईटीसी लि. एबीडी को पूर्व मे जारी विशेष अनुज्ञप्ति एस.एल./05/01 दिनांक 25.8.2015 से दिनांक 24/08/2022 तक की अवधि का नियम 8(1) के अन्तर्गत अमांग/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त शीघ्र तैयार किया जाकर आंचलिक कार्यालय के माध्यम से भेजा जाना सुनिश्चित करे।

01/6/2022

संयुक्त संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\SANDEEP BIRARE\LETTER NEW SANDEEP.docx